

The Bihar State Infrastructure Development Enabling (Amendment) Act, 2023

Act No. 09 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1945 (श0)

(सं0 पटना 333) पटना, बुधवार, 19 अप्रील 2023

विधि विभाग

अधिसूचना 19 अप्रील 2023

सं० एल०जी०—01—04 / 2023—**2898** / लेज | — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 15 अप्रैल, 2023 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द्र मालवीय, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 09, 2023]

आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2023

बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 को संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत-गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
 - (1) यह अधिनियम बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।
 - (3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 के अनुसूची V (ii) (क) में संशोधन।— उक्त अधिनियम के अनुसूची V (ii) (क) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :— "जहाँ स्वामित्व सरकार को वापस मिलनी है वहाँ सरकारी स्वामित्व की भूमि स्वीकृति से आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्धारित अविध के लिए रियायती पट्टा प्रभार पर परियोजनाओं के लिए दी जाएगी।"

रमेश चन्द्र मालवीय, सरकार के सचिव।

19 अप्रील 2023

सं० एल०जी०—01—04 / 2023—**2899 / लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2023 को अनुमत **आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2023 (विहार अधिनियम 09, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।**

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द्र मालवीय, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 09, 2023]

Bihar State Infrastructure Development Enabling (Amendment) Act, 2023

AN ACT

Further to amend the Bihar State Infrastructure Development Enabling Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in seventy fourth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.—
 - (1) This Act may be called the Bihar State Infrastructure Development Enabling (Amendment) Act, 2023
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come in to force with immediate effect.
- 2. Amendment in Schedule-V (ii) (a) of the Bihar State Infrastructure Development Enabling Act, 2006.- The Shedule V (ii) (a) of the said Act shall be substituted by the following:-

"Government owned land would be provided at concessional lease charges for projects where ownership would revert to the Government, within the period fixed by Infrastructure Development Authority from the date of grant of land"

Ramesh Chand Malviya, *Secretary*.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 333-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in